31256—D.I.—Item No. 2—H.G.P., Chd.

समिति पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(वर्ष 1860 का [illegible])

क्रमांक 803 वर्ष 2000-2001

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि KERALA EDUCATION SHIKSHA SAMITI VILL. JAITRAWAS DISTT. [illegible] नामक समिति को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम इक्कीस ऑफ 1860 (तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर से आज [illegible] मास 27 JUN 2000 को [illegible] जारी किया गया।

रजिस्ट्रार सोसायटी, हरियाणा

Director
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

KERALA S[illegible]

केरला एजूकेशन शिक्षा समिति, जैतड़ावास जिला रेवाड़ी

का

ज्ञापन-पत्र

1. समिति का नाम : इस समिति का नाम केरला एजूकेशन शिक्षा समिति, जैतडावास(रेवाड़ी) होगा।

2. समिति का पंजीकृत कार्यालय : इस समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम जैतडावास जिला रेवाडी होगा ।

3. समिति का कार्यक्षेत्र : इस समिति का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

4. समिति के उद्देश्य : इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

   1. इस समिति का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाऐं स्थापित करना तथा संचालन करना है।

   2. समिति द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं को संचालित करने के लिए उपयुक्त स्थान भूमि खरीदना पटटे पर लेना किराये पर लेना या अन्य साधनों से प्राप्त करना।

   3. समिति की संस्थाओं के लिए भवन छात्रावास बाग खेल का मैदान, लाईब्रेरी तथा हस्पताल बनवाना या तैयार करना।

   4. समिति के उद्वेश्यो की प्रति के लिए समाचार पत्र पत्रिका पुस्तक तथा लघु पुस्तिका प्रकाशित करवाना।

   5. समिति के उद्वेश्यो के लिए धन संग्रह करना, आय-व्यय करना तथा समिति की संस्थाओ के लिए उचित प्रबन्ध करना।

   6. प्रौढ शिक्षा केन्द्रो का संचालन करना तथा प्रशिक्षण देना।

   7. निर्धन तथा पिछडी महिलाओं व बच्चो के विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

   8. निर्धन तथा पिछड़ी महिलाओं के लिए टेलरिंग, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, दरी निवार आदि बनाने के लिए तथा अन्य घरेलू उद्योगो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

Director
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

Secretary
KERALA SHIKSHA SAMITI
Jaitrawas, Rewari

निर्देशक

कोषाध्यक्ष
केरला एजकेशन शिक्षा समिति

सचिव
केरला एजकेशन शिक्षा स

Secretary
KERALA SHIKSHA SAMITI

9 गरीबों और नि:सहाय बच्चों के लिए मुफत शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

10 गरीब व जरूरतमंद स्त्रियों के घरेलु जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा तथा साहित्य का प्रबन्ध करना तथा उनकी पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए शिविरों का आयोजन करना ।

11 धुम्रपान, शराब तथा दहेज आदि के विरूद्ध अभियान चलाने के लिए तथा परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिविरों का आयोजन करना तथा उन्हें छोटे परिवार सुखी परिवार बारे ज्ञान करवाना तथा उनमें अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ।

12 भारतीय जन जीवन में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का प्रचार करना ।

13 अनुशासित, नियमित, स्वस्थ नागरिक तैयार करना।

14 चिकित्सा शिविरों एवं खेल आदि विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

15 शिशुओं एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास ।

16. प्रर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिये पेंड़ पौधे आदि लगाना ।

5 शर्ते :-

क) समिति की सम्पत्ति तथा आय समिति के हित के लिए खर्च होगी, इसमें से किसी भी समिति की राशि या सम्पत्ति का कोई भाग बोनस या डिबिडेंड के रूप में नही दिया जायेगा ।

ख) सभी सदस्य अवैतनिक होगें कोई भी सदस्य वेतन नही लेगा । कार्यकारिणी या आम सभा का कोई भी सदस्य जो समिति के कार्य के लिए अपनी जेब से खर्च करेगा वह राशि समिति की आय में से सदस्य को दी जायेगी । समिति के लिए किसी सदस्य से ली हुई राशि का ब्याज तथा मकान का किराया जो समिति के प्रयोग के लिए लिया गया हो समिति की आय में से देंगे ।

ग) यदि समिति को कोई लाभ होगा या आमदन होगी तो वह राशि समिति के हित के लिए खर्च की जायेगी ।

घ) किसी कारणवश समिति के बन्द होने की स्थिति में समिति की जायदाद लेनदारी या देनदारी का कोई भी व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नही होगा अपितु ऐसी स्थिति में समान विचारधारा वाली पंजीकृत समिति को सौंप दी जायेगी । Attested

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES HARYANA

Director.........

Kerala Education Shiksha Samiti

Jaitrawas (Rewari)

Kerala Education Socie

6 समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधित अधिनियम 1957)जैसा कि हरियाणा क्षेत्र पर लागू है के अन्तर्गत वर्तमान कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पते, आयु, व्यवसाय तथा पद जिनको समिति के प्रबन्ध का कार्यभार सौंपा गया है निम्न प्रकार से हैं :-

S.N.	Name & Address Sarvsh.	Occupation	Age	Designation & Sign.
1.	Satish Suhag S/o Surat Singh R/o Vill. Matanhail (JJR.)	Social Worker	31	Director
2.	Ramanan S/o Divakaran, Niranam East, Tiruvalla, Kerala	-do-	40	Secretary
3.	Vijayan S/o Thankappan, V.P.O. Pallickal Kayankulam, Kerala	-do-	45	Treasurer - Vijayan
4.	Smt. Lathi Omanakuttan D/o Sukumaran V.P.O. Niranam East Tiruvalla, Kerala	-do-	34	Member
5.	Chand Singh S/o Chhashi Ram Dighal, Jhajjar	-do-	[illegible]	Member

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES HARYANA

7 हम अधोहस्ताक्षरी जिनके नाम व पते नीचे दिये गये है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन समिति को पंजीकृत करवाना चाहते हैं तथा इस ज्ञापन-पत्र के अनुशरण में अपने हस्ताक्षर अंकित करते है ।

S.N.	Name & Address Sarvsh.	Occupation	Age	Designation & Sign.
1.	Satish Suhag S/o Surat Singh R/o Vill. Matanhail (JJR.)	Social Worker	31	Director
2.	Ramanan S/o Divakaran, Niranam East, Tiruvalla, Kerala	-do-	40	Secretary

Director
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

Attested

Secretary

KERALA SHIKSHA SAMITI

S.N.	Name & Address Sarvsh.	Occupation	Age	Designation & Sign
3.	Vijayan S/o Thankappan, V.P.S. Pallickal Kayankulam, Kerala	-do-	45	Treasurer Vijayan
4.	Smt. Lathi Omanakuttan D/o Sukumaran V.P.O. Niranam East Tiruvalla, Kerala	-do-	34	Member
5.	Chand Singh S/o Chhashi Ram Dighal, Jhajjar	-do-	49	Member
6.	Bhargavan S/o Pappu V.P.O. Niranam East Tiruvalla, Kerala	-do-	49	Member
7.	V.K.R. Panicker 219 Lade Saral DDA Flat New Delhi-30	-do-	60	Member V.K.R. Pa
8.	Bijender Singh S/o Reep Singh V.P.O. Sundrehati Jhajjar	-do-	45	Member Bijender
9.	Shaji S/o Thankappan V.P.O. Cumbammettu Idukki, Kerala	-do-	33	Member Shaji

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES HARYANA

दिनांक:-----------

स्थान:-----------

Director

Kerala Education Shiksha Samiti

Jaitrawas (Rewari)

Certified to be a True Copy

Registrar of Firms & Societies

Haryana

Attested

Director

गवा

मैं उपरोक्त सभी हस्ताक्षरका को जानता हूँ, मेरे सामने हस किये है ।

हस्ताक्षर

केरला शिक्षा समिति जतड़ावास जिला रिवाड़ी
का
संविधान (नियमावली)

1 **सदस्यता**

भारतवर्ष में रहने वाले युवक युवती जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा समिति के कार्यक्रम और विचारधारा में विश्वास रखते हों इस समिति के सदस्य बन सकते हैं जिसके लिए 21/- रूपये दाखिला फीस तथा 51/- रूपये सालाना शुल्क देना हो या आजीवन सदस्य बनने के लिए 501/-रूपये जमा कराये होंगे ।

2 **सदस्यमा की समाप्ति**

नियमिति रूप से तीन बैठकों में अनुपस्थित या सदस्य कोई समिति विरोधी कार्य करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है । आम सभा में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति वांछनीय है ।

3 **आम सभा की बैठक**

आम सभा की बैठकें सामान्यतः तीन महीने में एक बार होगी परन्तु किसी विशेष कार्यक्रम के लिए विशेष बैठक आयोजित की जा सकती है ।

4 **गणपूर्ति**

किसी भी निर्णय के लिए सदस्यों की संख्या कुल संख्या से 2/3 होनी चाहिए अल्प संख्या में लिया गया निर्णय अमान्य होगा ।

5 **नोटिस**

बैठक का नोटिस आम सदस्य के पास बैठक केतीनदिन पहले पहुंचाने का का कार्य सचिव का होगा । अनुशासनात्मक नोटिस या विशेष नोटिस जैसे दण्डात्मक इत्यादि पर प्रधान के हस्ताक्ष होने अनिवार्य है तथा प्रधान द्वारा ही जारी किये जायेगें ।

6 **आम सभा की शक्तियां व अधिकार**

आम सभा को अधिकार होगा कि वह निर्णय जो एकाधिकार में लिया गया गया रद्द कर सके । बहुमत से सभा की कार्यवाही तथा निर्णयों का निर्धारण होगा । हर वर्ष अगले वर्ष की कार्यवाही के बारे में निर्णय लिए जायेगें तथा अगले वर्ष का बजट निर्धारित किया जायेगा ।

Director.......
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

(Treasurer)
Kerala Education Society

चालू वर्ष के प्रोग्राम के बारेमें वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा प्रोग्राम किये जायेगें । दूसरे वर्ष केलिए बजट तैयार करनातथा उसके खर्च के बारे में तैयार करना । आम सभा की बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा जिसमें प्रधान का चुनाव आम सभा में होगा तथा बाकी सदस्यों का चुनाव प्रधान की सिफारिश पर किया जायेगा । चुनाव की अवधि 3 वर्ष की होगी । यदि किसी कारणवश पदाधिकारियों को पद से वंचित करके चुनाव शीघ्र भी करवाया जा सकता है ।

7 कार्यकारिणी का गठन

कार्यकारिणी प्रधान सचिव कैशियर तथा दो मेम्बर कमेटी को मिलाकर कार्यकारिणी बनाई जायेगी ।

8 कार्यकारिणी की शक्तियों एवं अधिकार

सभी महत्वपूर्ण निर्णय कार्यकारिणी द्वारा किये जायेगें । समिति की आय-व्यय का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी । कार्यकारिणी की बैठक हर माह अनिवार्य है । विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक की संख्या बढाई जा सकती है । कार्यकारिणी का कार्यकाल भी तीन वर्ष होगा तथा चुनाव लोकतात्रिक विधि से होगा ।

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES HARYANA

9 समिति के धन बारे

समिति के धन का उपयोग समिति के हितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च किया जायेगा । यह धनराशि किसी व्यक्तिगत उत्थान के लिए नही होगी । इसकी सम्भाल कैशियर करेगा तथा लेखा जोखा भी उसी के पास रहेगा । एक हजार रूपये से अधिक की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करानी होगी इसको निकलवाने केलिए प्रधान, सचिव तथा कैशियर तीनो में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं । समिति के विधान में परिवर्तन एवंपरिवर्धन समय समय परआम सहमति से ऐसा किया जायेगा । जब यहपाया जाये कि समिति के हित के लिए संविधान में परिवर्तन करना अनिवार्य है तो आम सहमति से ऐसा किया जायेगा ।

Director.................................
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

10 समिति का विघटन

अगर समिति के सदस्य एवं कार्यकारिणी समिति कार्य को सूचारू रूप से चलाने में असमर्थ होतो ऐसी हालत में प्रधान से मिलकर विघटन का निर्णय ले सकते है लेकिन यह अनिवार्य है कि प्रधान ...

Director

Attested

11. पदाधिकारी

प्रधान	यह पदाधिकारी सदस्यों द्वारा आम सभा में बह जायेगा । प्रधान की समिति के उत्थान तथा विशेष अधिकार होगें । यह किसी भी सदस्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम हो गतिविधियों का निर्धारण प्रदानकरना तथा स उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर सम्भव को
उपप्रधान	प्रधान की गैरमौजदगी में सभी शक्तिया उप होगी ।
सचिव	इस पदाधिकारी का चुनाव भी आम सभा प्रधान की सिफारिश पर किया जायेगा । प्रधान किये गये आदेशों में सचिव की सहमति अवि सचिव किस आदेशको अनुचित पाता है तो सकता है । पत्र व्यवहार के सभी अधिकार होंगे
सहसचिव	सचिव के न होने पर सारा कार्य सहसचिव स
कैशियर	इस पदाधिकारी का चुनाव भी आप सभा में सिफारिश पर किया जायेगा तथा इसके पास का सारा हिसाब होगा इसको बैंक में पैसा ज तथा निकलवाने का अधिकार होगा । परन्तु निकलवाते समय प्रधान, सचिव तथा कैशियर दो के हस्ताक्षर करवाने अनिवार्य होंगे ।
कार्यकारिणी सदस्य (मेम्बर कमेटी)	इनकी संख्या दो होगी तथा इनका चुनाव प्रधान मिलकर करेंगे । इनका कार्य प्रधान, सचिव क करना तथा स्थानीय प्रबन्ध करना । किसी के लिए इनकी सहमति भी जरूरी होगी ।
सलाहकार समिति	इसमें बुद्धिजीवी व्यक्ति समय समय पर शामिल समिति को सलाह देते रहेंगें तथा इनकी संख्या है ।
अन्य मामले	अन्य मामलों के सम्बन्ध में जोइन नियमों में है । समिति का मार्गदर्शन सोसाइटीज रजिस्ट्रे 1860 (पंजाब एमैन्डमैट एक्ट 1957)

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES HARYANA

Director......
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

नोट : जगह-जगह पर समिति या संस्था शब्द का प्रयोग किया है। समिति या संस्था से अभिप्राय है के
एजुकेशन शिक्षा समिति, जैतड़ावास(रेवाडी) हरियाणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियमावली सर्वसम्मति से बनाई गई है तथा केरला एजु शिक्षा समिति, जैतड़ावास(रेवाड़ी) हरियाणा की आम सभा दिनांक 25.6.2000 को पारित की गई है। सदस्यो ने सुन व समझ कर स्वीकार किया है ।

प्रधान — सचिव

सदस्य — सदस्य

सदस्य — सदस्य

Certified to be a true copy

Registrar of Firms and Societies
Rewari

Director
Kerala Education Shiksha Samiti
Jaitrawas (Rewari)

Attested

निदेशक
केरला एजुकेशन शिक्षा समिति

केरला एजुकेशन शिक्षा समिति
जैतड़ावास (रेवाडी)